भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

अणुशक्ति भवन/Anushakti Bhavan,
छ.शि.म.मार्ग/C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं./No. 7/2/2012/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 110

अप्रैल/April 20 , 2012

विषय : माता-पिता को अस्थायी सीएचएसएस कार्ड जारी करना।
Sub : Issue of Temporary CHSS cards to Parents.

सीएचएसएस के तहत वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, माता-पिता के निवास की सूचना प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड का सत्यापन अनिवार्य है। अस्थायी सीएचएसएस कार्ड जारी करने के संबंध में विभाग को कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जहां राज्य सरकार प्राधिकारियों से राशन कार्ड प्राप्त होने में अत्यधिक देरी हुई है।

As per the existing provisions under CHSS, verification of Ration card is compulsory to ascertain the residency of parents. References have been received in the department to issue temporary CHSS cards, where there is inordinate delay in getting ration cards from the State Government Authorities.

विभाग में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में माता-पिता को अस्थायी सीएचएसएस कार्ड जारी करने के संबंध में निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों को स्वीकार किया जाए।

After careful consideration in the department, it has now been decided, in such cases, to issue temporary CHSS cards in respect of parents, for which the following alternate documents may be accepted as a proof of residence.

1. आधार कार्ड/Aadhar Card,
2. चुनाव पहचान पत्र/Election Identity Card,
3. पासपोर्ट/Passport
4. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी बैंक पास बुक/Bank Pass Book issued by Nationalised Banks

तथापि यह सुविधा केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी और 30/04/2013 के बाद नहीं बढ़ायी जाएगी। कर्मचारी यदि उक्त तारीख के बाद के लिए अपने माता-पिता हेतु सीएचएसएस का लाभ उठाना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से राशन कार्ड प्रस्तुत करने होंगे।

However this facility will be available only for one year and not to be extended beyond 30/04/2013. In case the employees wanted to continue to avail CHSS for parents beyond this date, they have to produce ration cards, compulsorily.

(स्वाति पाण्डेय/Swati Panday)
निदेशक(आईआरएंडडब्ल्यू)/Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस प्रशासनिक प्राधिकारी/ All CHSS Administering Authorities

1 निदेशक , बीएआरसी/ Director, BARC
2 निदेशक, आईजीसीएआर/ Director, IGCAR
3. मुख्य कार्यकारी, एचडब्ल्यूबी/ Chief Executive, HWB
4. मुख्य कार्यकारी, एनएफसी/ Chief Executive, NFC
5. स्टेशन निदेशक, आरएपीएस/ Station Director, RAPS
6. स्टेशन निदेशक, टीएपीएस/ Station Director, TAPS
7. निदेशक, एएमडी/ Director, AMD
8. निदेशक, आरआरकेट/ Director, RRCAT
9. निदेशक, वीईसीसी/ Director, VECC
10. निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल/ Director (HR), NPCIL
11. अध्यक्ष, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी/ Head, Medical Division, BARC

प्रतिलिपि :(1) परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव का कार्यालय/ O/o chaiman, AEC, Secretary, DAE
(2) परमाणु ऊर्जा विभाग के अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव/PPS to Additional Secretary, DAE
(3) सचिव, स्टाफ पक्ष,डीसी/ Secretary, Staff Side, DC
(4) सहायक निदेशक (राजभाषा), पऊवि/ Asst. Director (OL), DAE